

निर्णय बईजलास डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी आई०ए०एस० जिला कलक्टर, झालावाड़

मि०न० 16 /अपील/18

नन्दा आ० गंगाराम मेघवाल नि० हनोतिया धरोनिया तहसील पिड़ावा (अपीलान्त)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिड़ावा

(रेस्प०)

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार पिड़ावा मिसल न० 293/17 निर्णय दिनांक 24.11.17

उपस्थित:- श्री बालचन्द्र परिहार अभिभाषक अपीलान्त
पेरोकार सरकार

—: निर्णय :-

दिनांक: 28.03.2018

यह अपील अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा के आदेश दिनांक 24.11.2017 जो मिसल न० 293/17 पर दिया गया जिसमें अपीलान्त को ग्राम कचराखेडी की चरागाह की आराजी ख०न० 119 की 01 बीघा भूमि पर अतिक्रमी मानकर फसल निलामी व 58/-रु. शास्ती आरोपित करते हुए 90 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्त ने अपने अपील में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का फैसला खिलाफ कानून एवं पत्रावली संग्रह सार के विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को अपना पक्ष प्रस्तुत करने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया है। अपीलान्त द्वारा कब्जा छोड़ दिया उसके द्वारा सम्पूर्ण जुर्माना राशि जमा करवादी गई है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्प० को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्त ने दौराने बहस अपील में की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्त का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है कब्जा हटा लिया गया है व पेनेल्टी की राशि भी जमा राज करवादी गई है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्त द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर ही सजायाब किया गया है अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने पर ही सजायाब किया जाना तो साबित है। चूंकि अपीलान्त द्वारा वादग्रस्त आराजी पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया गया है व पेनेल्टी की राशि भी जमा करवा दी गई है जिसकी पुष्टी पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी व रसीद से होती है। ऐसी दशा में अपीलान्त कुछ राहत पाने का पात्र है। अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त पर आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए अपीलान्त को दी गई सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में दो माह की अवधि में 20000/- रुपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वयं अतिक्रमण करेंगे और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेगे। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वयं का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड़